

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुररिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2875/2023

1 - श्रीमती बसंत कुमारी यादव, पति स्व. श्री अमृत लाल यादव, आयु लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-II, नगर पालिका परिषद सक्ती, निवासी: सक्ती, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़।

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2- संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3- संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

4 - मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सक्ती, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़।

...उत्तरवादीगण

(वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री दीपक कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री साकिब अहमद, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से : श्री ललित जांगड़े, अधिवक्ता

(माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश)

बोर्ड पर आदेश

19/11/2025

1. याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

“10.1 यह कि, माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के प्रकरण से संबंधित संपूर्ण अभिलेखों को इसके परिशीलन करने हेतु उत्तरवादीगण के कब्जे से मंगाने की कृपा करें।



10.2 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के अर्जित अवकाश नकदीकरण के संदाय हेतु विचार करने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि 04,26,496/- रुपये, दिनांक 31.07.2020 से आज तक 12% वार्षिक ब्याज के साथ संदाय करने पर विचार करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

10.4 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 4 सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.5 यह कि, माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष/अनुतोषों, जिसे माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझे, प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद सक्ती, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सहायक ग्रेड-॥ के पद पर कार्यरत थी। सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 30.05.2020 के अनुसार, वह दिनांक 31.07.2020 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुई। अपने सम्पूर्ण सेवा के दौरान, याचिकाकर्ता ने अत्यंत ईमानदारी और अपने वरिष्ठों की संतुष्टि के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई शिकायत या जांच लंबित नहीं रही है, और उनका संपूर्ण सेवा अभिलेख स्पष्ट और निष्कलंक है। सेवानिवृत्ति के पश्चात, याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण का संदाय प्राप्त नहीं हुआ है, जो सेवानिवृत्ति पर शासकीय कर्मचारियों हेतु एक साविधिक पात्रता है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने अपने देय अवकाश नकदीकरण के संदाय हेतु उत्तरवादी अधिकारियों के समक्ष कई अनुरोध और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। यद्यपि, उनके बार-बार प्रयत्नों के बावजूद, उनके अवकाश नकदीकरण के दावे को संसाधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपनी पात्रता की स्थिति की पुष्टि करने हेतु, याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसके जवाब में, उत्तरवादीगण ने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता 4,26,496/- रुपये की अवकाश नकदीकरण राशि की पात्र है। स्पष्ट पात्रता और सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी के बावजूद, उत्तरवादी याचिकाकर्ता को उसके देय अवकाश नकदीकरण का संदाय करने हेतु कोई भी कार्रवाई करने में असफल रहे हैं। उत्तरवादीगण की ओर से यह निष्क्रियता न केवल अवैध और त्रुटिपूर्ण है, बल्कि ऐसे लाभों के संदाय को नियंत्रित करने वाले स्थापित विधियों के विपरीत भी है। असंदाय के कारण याचिकाकर्ता को गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा है, और वह निरंतर अपूरणीय क्षति सहन



रही है, जिसकी भरपाई बाद के चरण में नहीं की जा सकती। अतः याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से अनुरोध करती है कि उसके विधिसम्मत अवकाश नकदीकरण के संदाय को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त विधिक अनुतोष प्रदान की जाए, साथ ही ऐसी अन्य परिणामी अनुतोष भी जिसे यह न्यायालय उपयुक्त समझे।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात याचिकाकर्ता को उसके पात्र अवकाश नकदीकरण का संदाय करने में असफल रहने की उत्तरवादीगण की कार्रवाई अवैध और त्रुटिपूर्ण, दोनों है। यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अनेक अभ्यावेदनों और अनुरोधों के बावजूद, उत्तरवादीगण द्वारा उसके अवकाश नकदीकरण के दावे के निपटान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह निष्क्रियता उन स्थापित विधियों और प्रक्रियाओं के विपरीत है जो शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर ऐसे लाभों के संदाय को नियंत्रित करते हैं। याचिकाकर्ता, जो दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्त हुई है, अपने अवकाश नकदीकरण के संदाय की विधिक रूप से पात्र है, जिसकी राशि 4,26,496/- रुपये है, जैसा कि स्वयं उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगे गए आवेदन के माध्यम से पुष्ट किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी पात्रता के संबंध में कई गंभीर प्रयत्न किए हैं और अनेक अभ्यावेदनों के माध्यम से उत्तरवादीगण से संपर्क किया है, फिर भी उसके दावों का समाधान नहीं हुआ है। इसके बावजूद, उत्तरवादी कोई भी कदम उठाने में असफल रहे हैं और देय राशि जारी नहीं की है। यह असफलता न केवल याचिकाकर्ता के विधिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उस मौलिक सिद्धांत का भी प्रत्यक्ष उल्लंघन है कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अवकाश के नकदीकरण का पात्र होता है। आगे यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता की पात्रता को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बावजूद उत्तरवादीगण की निरंतर निष्क्रियता ने उसे गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया है। अवकाश नकदीकरण के संदाय न होने से याचिकाकर्ता ऐसी स्थिति में आ गई है जहाँ वह अपूरणीय क्षति सहन कर रही है, जिसका उपाय बाद के चरण में नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उसे सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह की अनुचित कठिनाई और वित्तीय अभाव का सामना नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अवकाश नकदीकरण हेतु याचिकाकर्ता के वैध अनुरोध पर कार्रवाई करने में उत्तरवादीगण की असफलता विधि का स्पष्ट उल्लंघन है, जो यह आदेश देता है कि ऐसे देय राशियों का निराकरण बिना किसी अनावश्यक विलंब के किया जाए। याचिकाकर्ता इस न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करती है ताकि उत्तरवादीगण को 4,26,496/- रुपये के देय संदाय को जारी करने का निर्देश दिया जा सके।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और साथ ही उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों का विरोध किया और संयुक्त रूप से यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता, जो दिनांक 31.07.2020 को नगर पालिका परिषद सक्ती, जिला सक्ती के कार्यालय से सहायक ग्रेड-II के पद से सेवानिवृत्त हुई थी, उसे



4,26,496/- रुपये की अवकाश नकदीकरण राशि को छोड़कर, 2020 में ही उसके अन्य सभी सेवानिवृत्ति देयों का संदाय किया जा चुका है। यह तर्क किया गया है कि अवकाश नकदीकरण को रोकने का कारण याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच का लंबित होना है। यह जांच वर्ष 2012-2013 के दौरान उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा कराए गए बोरेवेल कार्य के तहत एक ठेकेदार को किए गए अवैध संदाय के संबंध में गंभीर आरोपों से संबंधित है। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े ये आरोप याचिकाकर्ता के विरुद्ध उनकी सेवा अवधि के दौरान लगाए गए थे। विभागीय जांच लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ की गई थी, जिसमें संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर को जांच अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सक्ती को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने विस्तृत जांच की है और राज्य शासन को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क किया गया है कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, विभागीय जांच की कार्यवाही अभी भी जारी है, और इस प्रकरण में अंतिम निर्णय राज्य शासन के समक्ष लंबित है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, जब तक अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, याचिकाकर्ता अवकाश नकदीकरण प्राप्त करने की पात्र नहीं है, क्योंकि मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है जिसके लिए याचिकाकर्ता कथित रूप से जिम्मेदार है। जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि याचिकाकर्ता, अन्य लोगों के साथ मिलकर, राज्य शासन को 22.26 लाख रुपये की वित्तीय हानि पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है। जांच के निष्कर्षों के अनुसार, याचिकाकर्ता अपने हिस्से की वसूली के लिए उत्तरदायी है, जो कि 7,42,000/- रुपये बनती है। इन तथ्यों के आलोक में, अवकाश नकदीकरण को रोकना विधि और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप है। अवकाश नकदीकरण जारी करने का याचिकाकर्ता का दावा समयपूर्व है और तब तक इस पर विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि विभागीय जांच समाप्त न हो जाए और राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय न ले लिया जाए। अतः, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तरवादीगण की कार्रवाई न्यायोचित है, और इस स्तर पर याचिकाकर्ता के अवकाश नकदीकरण के दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, यह प्रार्थना है कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि अवकाश नकदीकरण को रोका जाना जारी विभागीय कार्यवाही और जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुरूप है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी परिशीलन किया है।

6. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो नगर पालिका परिषद, सक्ती में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सहायक ग्रेड-11 के पद से दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्त हुई थी, उसे उत्तरवादीगण को किए गए बार-बार अनुरोधों और अभ्यावेदनों के बावजूद उसके पात्र अवकाश नकदीकरण का संदाय नहीं किया गया है। स्वयं उत्तरवादीगण द्वारा, सूचना के अधिकार के जवाब के माध्यम से, यह पुष्टि की गई है कि याचिकाकर्ता 4,26,496/- रुपये की अवकाश नकदीकरण राशि की हकदार है। उत्तरवादीगण द्वारा संदाय रोकने का



प्राथमिक तर्क याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच है, जो वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है, विशेष रूप से 2012-2013 में किए गए बोरवेल कार्य के संबंध में एक ठेकेदार को अवैध संदाय से जुड़ी है। आगे यह तर्क किया गया है कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि हुई है, और वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यद्यपि, यह न्यायालय संज्ञान लेता है कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त हुए तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है और वह अवकाश नकदीकरण सहित अपने साविधिक देयों को प्राप्त करने की हकदार है, जिनका निराकरण सेवानिवृत्ति लाभों के संदाय को नियंत्रित करने वाले स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार शीघ्र किया जाना चाहिए। यद्यपि यह उत्तरवादीगण का विशेषाधिकार है कि वे उचित विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करें और जारी रखें तथा उत्तरदायी पाए जाने पर याचिकाकर्ता से किसी भी देय राशि की वसूली करें, किंतु समय पर अवकाश नकदीकरण जारी न करना अनुचित है। याचिकाकर्ता, जिसने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन किया है और जिसका सेवा अभिलेख शिकायतों से मुक्त रहा है, अधिकार के तौर पर अवकाश नकदीकरण राशि प्राप्त करने की पात्र है। उत्तरवादीगण की ओर से इस निष्क्रियता ने याचिकाकर्ता को गंभीर वित्तीय कठिनाई पहुँचाई है, और आगे होने वाला विलंब तर्कहीन है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिक्किम राज्य विरुद्ध डॉ. मूल राज कोटवाल, 2025 एससीसी आनलाइन एससी 888 के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"26. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 'राजस्थान राज्य विरुद्ध सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, लक्ष्मणगढ़' (2005) 10 एससीसी 346) के प्रकरण में, यद्यपि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 29 के संदर्भ में, अवकाश नकदीकरण की व्याख्या 'कर्मचारी के खाते में जमा उस अप्रयुक्त अवकाश के वेतन के अलावा और कुछ नहीं' के रूप में की थी। बहरहाल, अवकाश नकदीकरण की अनुमति के पीछे के पूर्ण महत्व को समझने के लिए कुछ और अधिक आवश्यक है, जो कि एक समर्पित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला लाभ है। विधिशास्त्रीय रूप से, अवकाश नकदीकरण दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: साम्या और आर्थिक सुरक्षा। साम्या का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि वे कर्मचारी जो संगठन के लाभ के लिए अवकाश लेने के अपने अधिकार का त्याग करते हैं, उन्हें इसके मौद्रिक मूल्य से वंचित न किया जाए। आर्थिक सुरक्षा का सिद्धांत अवकाश नकदीकरण को आस्थगित मजदूरी के एक रूप के रूप में मानता है, जो उपादान या पेंशन लाभों के समान है। यह उचित श्रम प्रथाओं को बनाए रखने के नियोक्ता के कर्तव्य को सुदृढ़ करता है और कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करता है।"



8. पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध प्यारे लाल, 2014 एससीसी आनलाइन पी एंडएच 15012 में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

“9. इसके दृष्टिगत, हम यह पाते हैं कि उक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत को पंजाब सिविल सेवा नियमों या उसके समरूप नियमों द्वारा शासित अवकाश नकदीकरण के दावे के संबंध में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, डॉ. ईशर सिंह के प्रकरण (पूर्वोक्त) के कण्डिका क्रमांक 81 के निष्कर्ष (i) के अनुसार, राज्य शासन के पास पेंशन या पेंशन के रूपांतरण के कारण होने वाले संदाय को रोकने या स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सेवानिवृत्ति के समय 100% पेंशन जारी करने के लिए बाध्य है। यह निष्कर्ष संख्या (ii) है जो शासन को उपादान या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने की अनुमति देता है। जांच के लंबित रहने के दौरान पेंशन का संदाय किया जाना चाहिए, भले ही वह अनंतिम हो। इसी तरह, निष्कर्ष (vii) उपादान और अन्य सेवानिवृत्ति देयों से शासकीय बकाया की वसूली का प्रावधान करता है। इसलिए, डॉ. ईशर सिंह के प्रकरण (पूर्वोक्त) का निर्णय केवल अनुशासनात्मक या दाण्डिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अनंतिम पेंशन के संदाय के संबंध में लागू होता है और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने के संबंध में इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का संदाय या उन्हें रोका जाना लागू नियमों (यदि कोई हो) का विषय है। चूंकि वर्तमान प्रकरण में, नियम 8.21(aa) अवकाश नकदीकरण को रोकने का प्रावधान करता है, इसलिए इसे कर्मचारी को जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई राशि (देय) हो, तो उसे ऐसे लाभों से वसूल किया जा सकता है।”

9. सुखराम प्रसाद मणि विरुद्ध झारखंड राज्य व अन्य, 2019 एससीसी आनलाइन झार. 1137 के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

“9. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि सेवानिवृत्ति लाभ कोई इनाम नहीं हैं जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाते हैं। बल्कि, सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करना कर्मचारियों का अधिकार है। समय-समय पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय के समक्ष यह दया दिखाने हेतु आदेश पारित करने की कोई दया याचिका नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों के साथ बहुत गंभीरता से निपटा जाना चाहिए जो समय पर सेवानिवृत्ति लाभ न देने के लिए जिम्मेदार हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉ. उमा अग्रवाल विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (1999) 3



एससीसी 438 में प्रकाशित प्रकरण में पारित निर्णय के कण्डिका-5 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“5. हमने उन नियमों और निर्देशों का पर्याप्त विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है जो पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संदाय के संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों के लिए समय-सारणी निर्धारित करते हैं। हमने ऐसा विभिन्न शासकीय विभागों को उनके कर्तव्यों की स्मरण दिलाने के लिए किया है कि वे सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम दो वर्ष पूर्व विभिन्न कदम उठाना प्रारंभ करें। यदि नियमों/निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए, तो अधिकांश मुकदमों से बचा जा सकता है और सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को तंग नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आखिर पेंशन देना कोई इनाम नहीं बल्कि शासकीय सेवक का अधिकार है। शासन इस आदेश के पूर्व भाग में उल्लिखित नियमों का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य है। सेवानिवृत्ति लाभों के निराकरण में विलंब निराशाजनक है और इससे हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। ऐसे विलंब पारिवारिक पेंशन के संबंध में भी हो रहे हैं जिसके लिए भी एक निर्धारित प्रक्रिया है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ एक सेवानिवृत्त शासकीय सेवक विलंबित संदाय के लिए ब्याज का दावा करता है, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण में लागू अन्य सुसंगत कारकों के अतिरिक्त नियमों/निर्देशों में निर्धारित समय-सारणी को निश्चित रूप से ध्यान में रख सकता है।”

10. तदनुसार, उपरोक्त के आलोक में, यह न्यायालय उत्तरवादीगण को निर्देशित करता है कि वे इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को 4,26,496/- रुपये की अवकाश नकदीकरण राशि का संदाय करें। यद्यपि, चूंकि विभागीय जांच अभी भी लंबित है, उत्तरवादीगण को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे जांच अधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार, जांच के परिणामस्वरूप निर्धारित होने वाली किसी भी वित्तीय हानि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं।

11. इसके अतिरिक्त, अवकाश नकदीकरण के संदाय में हुए असम्यक् विलंब को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता देय राशि पर ब्याज की पात्र है, और इसलिए, अवकाश नकदीकरण की राशि पर दिनांक 31.07.2020 (सेवानिवृत्ति की तिथि) से वास्तविक संवितरण की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज प्रदान किया जाए।

12. यह याचिका **स्वीकार** की जाती है। यद्यपि, उत्तरवादीगण के पास विभागीय जांच के अंतिम परिणाम के बाद उचित समझी जाने वाली किसी भी वसूली की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निराकृत की जाती है।



सही / -
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

